

# कार्यालय अधिष्ठाता

## शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया, म.प्र.

टेलीफोन नं. – 07522–234001

E mail Id- datiamedicalcollege@gmail.com  
datiamedicalcollege2018@gmail.com

Website- www.datiamedicalcollege.com

पता— 29 बटालियन के पास, एन.एच. 44, जिला दतिया, म.प्र. पिन नं. 475661

क्रमांक – ५१२२/स्था.राज / 2022

दतिया, दिनांक – 24/05/2022

### // विज्ञापन //

संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल के आदेश क्र. 2-15/2022/01/55/स्था.राज/2021 दिनांक 04/03/2022 में प्रदत्त अनुमति अनुसार शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया में मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा, शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 2-42/07/1/55, भोपाल दिनांक 17/12/2021 में चयन प्रक्रिया के संबंध में वर्णित नियम एवं शर्तों के आधार पर सीनियर रेजीडेन्ट के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित समयावधि (Tenure) 3 वर्ष हेतु भरे जाने के लिए निर्धारित प्रारूप में वॉक-इन-इंटरव्यू प्रत्येक बुधवार को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया में आयोजित किये जायेंगे। प्रथम नियुक्ति एक वर्ष हेतु की जावेगी तत्पश्चात प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष की अनुशंसा एवं स्पष्ट अभिमत पर एक-एक वर्ष कर अधिकतम कुल तीन वर्ष तक आगे वढ़ाई जावेगी।

(सीनियर रेजीडेन्ट निश्चित वेतन रूपये 76,000/- प्रतिमाह)

विभाग	रिक्त कुल पद	अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.जा.	ओ.वी.सी.	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग
इंमरजेंसी मेडिसिन	09	03 (01 महिला)	02 (01 महिला)	01	02 (01 महिला)	01
पी.एम.आर	02	01	00	00	01	00
कुल	11	04	02	01	03	01

(Female) महिला चिकित्सक उपलब्ध न होने पर पद पुरुष वर्ग से भरा जावेगा।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण 27 प्रतिशत के संबंध में दायर याचिका के अंतिम निर्णय के अधिन रहेगी।

सीनियर रेजीडेन्ट पद हेतु वॉक-इन-इंटरव्यू नोटिस जारी होने के उपरांत प्रत्येक सप्ताह के बुधवार (कार्य दिवस) को प्रातः 10:00 से दोपहर 12:00 बजे तक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया के कार्यकाल में आवेदन पत्र प्राप्त किये जावेगें। तत्पश्चात प्राप्त दस्तावेजों के स्क्रूटिनी समिति द्वारा स्क्रूटिनी के उपरांत पात्र उम्मीदवारों के साक्षात्कार कर दोपहर 01:00 बजे कॉलेज काउंसिल रूम में आयोजित किये जायेगें। साक्षात्कार हेतु आवश्यक अभिलेखों/प्रमाणपत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु प्रथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

म.प्र. शासन के नवीनत आदेश क्रमांक एफ-4-7/2/55 दिनांक 25/08/2010 के प्रावधान के अनुसार सभी स्नातकोत्तर छात्र जिनका चयन सीनियर रेजीडेन्ट के पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के

बॉण्ड से इस शर्त साथ मुक्त किया जायेगा, की बॉण्ड अवधि के बरावर अवधि तक महाविद्यालय में इस पद पर सेवाएँ देगें। उक्त अवधि के पूर्व की सेवा छोड़ने की स्थिति से ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा हेतु किए गए बॉण्ड की शर्तें लागू हो जायेगी और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी।

### नोट :-

1. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार।
  2. पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
  3. उक्त रिक्त पदों में महिलाओं एवं विकलांगों हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार प्रत्येक श्रेणी में सीटें आरक्षित हैं।
  4. अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते हैं तो इस स्थिति में शीटें अनुसूचित जनजाति, अनसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जावेगी।
  5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जाता।
- यह नियुक्ति निम्न शर्तों अधीन होगी :-

### सीनियर रेजीडेन्ट

#### पात्रता :-

1. सीनियर रेजीडेन्ट के पद हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के पांच (5) वर्ष के अंदर एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./डिप्लोमा/एम.डी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होंगे।
2. चिकित्सक की उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।
3. एन.एम.सी. द्वारा समय—समय पर जारी अर्हतायें स्वतः लागू होगी।

#### अपात्रता :-

1. एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. पाठ्यक्रम की अध्ययरत अवधि में अधिष्ठाता/प्राचार्य चिकित्सा/दन्त चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन चिकित्सकीय कार्य न किया जाना अथवा महाविद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
2. विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरुद्ध किसी अवधि के लिए चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
3. पाठ्यक्रम अवधि में छात्र/छात्रा के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण संस्थित होना।
4. पाठ्यक्रम अवधि में पदीय कर्तव्यों में लापरवाही, अशिष्टता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने पर।
5. बिन्दु 1 से 4 में दर्शित कारणों से चिकित्सकीय कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में ऐसे छात्र-छात्राएँ चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी संस्था में सेवा के लिये पात्र नहीं माने जावेंगे।
6. उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में छात्र-छात्रा द्वारा पी.जी. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण—पत्र में उपरोक्त बिन्दुओं से संबंधित टीप अंकित की जायेगा।

#### चयनविधि :-

1. अधिष्ठाता द्वारा कॉलेज नोटिस बोर्ड, कॉलेज वेबसाईट के माध्यम से इन पदों के लिये विज्ञप्ति जारी किया जावेगी तथा अधिष्ठाता की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया जायेगा।
2. चयन हेतु प्रथमतः प्राथमिकता विज्ञापन जारी करने वाले स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों की दी जायेगी। तत्पश्चात मध्यप्रदेश के अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात शेष रिक्त पदों के लिए प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।
3. चिकित्सक द्वारा जिस विषय में एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./डिप्लोमा/एम.डी.एस. किया है, इसी विषय लिए पात्रता होगी।
4. चयन का क्रम क्रमशः डिग्रीधारी, डी.एन.बी., डिप्लोमा होगा।
5. विभिन्न विषयों में उत्तीर्ण एम.डी.एस. उम्मीदवारों का चयन पी.जी. (एम.डी.एस.) परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की गई मेरिट के अनुसार होगा।
6. चयनित सीनियर रेजीडेन्टी को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

### **टेन्युअर (Tenure)**

1. टेन्युअर की अवधि 03 वर्ष होगी।
2. एक वर्ष की टेन्युअर पूर्ण होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित का कार्य संतोष प्रदाय होने पर संबंधी की गई अनुसार अनुशंसा के आधार पर आगामी वर्ष के लिये बढ़ाया जायेगा।
3. विभाग में पदस्थ सीनियर रेजीडेन्ट के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष की प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर अधिष्ठाता को संबंधित विभागाध्यक्ष, संबद्ध चिकित्सालय के अधीक्षक तथा 02 वरिष्ठतम् अध्यापक की गठित समिति के परामर्श से ऐसे सीनियर रेजीडेन्ट की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रदत्त होगा। इस प्रकार से पृथक किये गये चिकित्सक को इस पद हेतु पुनः आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
4. विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित चिकित्सक के अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने अथवा कार्य संतोषप्रद न होने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर उनकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को प्रदत्त होगें।

### **आरक्षण :-**

1. राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।
2. निर्धारित आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों विरुद्ध प्रथमतः संबंधित श्रेणी के प्रदर्शकों/ट्यूटरों/चिकित्सा अधिकारियों का चयन किया जायेगा। तदोपरांत सीनियर रेजीडेन्टी हेतु चिकित्सकों का चयन होगा।
3. आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।

**अवकाश :-** सीनियर रेजीडेन्ट प्रति सप्ताह 01 दिवस अवकाश की पात्रता होगी। तथा प्रति वर्ष 12 दिवस का आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। सप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। अवकाश के समस्त प्रकरणों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

**शिष्यावृत्ति :-** मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित तत्समय प्रचलित सीनियर रेजीडेन्ट हेतु शिष्यावृत्ति देय होगी।

1. अवधि :—सीनियर रेजीडेन्ट की सेवा—अवधि (Tenure) तीन वर्ष होगी। इनकी प्रथमतः 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी। तत्पश्चात् सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर 01—01 वर्ष हेतु समय बढ़ाते हुए अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जावेगी।
2. नियुक्ति तरीका :—योग्य अभ्यर्थियों का चयन एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस./डिप्लोमा परीक्षा सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सटी परीक्षाओं के अंकों एवं साक्षात्कार उपरांत किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी।
3. आवेदन शुल्क :— सीनियर रेजीडेन्ट के पर हेतु अभ्यर्थियों को अपने आवेदन के साथ रु. 750/- (सात सौ पचास) एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को रु. 500/- (पाँच सौ रुपये) राशि का बैंक ड्रॉफ्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया के नाम देय होना चाहिए। बैंक ड्रॉफ्ट के पीछे अभ्यर्थी को पूरा नाम, विषय का नाम, पता एवं फोन लिखना आवश्यक है। किसी भी अवस्था में राशि लौटायी नहीं जायेगी।
4. संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने पात्रता नहीं होगी।
5. यात्रा भत्ता :— साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।

**अन्य शर्तें :-**

1. चिकित्सकों का प्रत्येक 01 वर्षों में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। तथा सप्ताह में 01 दिन अवकाश की पात्रता होगी। यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। पर इन रेसीडेन्ट से संबंधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. म.प्र. के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
4. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।
5. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था में कार्यरत है उस संस्था का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. उम्मीदीवार को मध्य प्रदेश राज्य मेडीकल काउंसिल अथवा मेडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।
8. साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले चिकित्सकों को स्कूटनी समिति के समक्ष यह शपथ —पत्र देना होगा कि उनका नाम पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाड़े की सूची में नहीं है एवं उनके विरुद्ध कोई भी प्रकरण पुलिस में दर्ज नहीं है। यदि उनके विरुद्ध पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाड़े की सूची में है या इनके विरुद्ध प्रकरण पुलिस में दर्ज हैं तो उन्हें आवेदन भरने एवं साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
9. साक्षात्कार के समय यदि विभाग में ओ.बी.सी. पद रिक्त हैं तो उक्त पद के लिये आवेदक द्वारा चालू वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी साक्षात्कार में ओ.बी.सी. श्रेणी में सम्मिलित किया जावेगा।

10. बॉण्डेड अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने एक वर्ष की ग्रामीण सेवा हेतु बॉण्ड भरा हुआ है, एवं आज दिनांक तक मेरी पोस्टिंग/नियुक्ति ग्रामीण सेवा हेतु शासन की तरफ से नहीं आई है किन्तु मैंने अपनी जोइनिंग शासन द्वारा बताये गये स्थान पर आज दिनांक तक नहीं दी है। यह शपथ-पत्र शासकीय सेवा के अंतर्गत बॉण्ड के बदले सीनियर रेसीडेन्ट पद के लिये प्रस्तुत कर रहा हूँ।

अधिष्ठाता एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
दतिया (म.प्र.)

पृ. क्रमांक ५१२२-२६/स्था.राज/2022

दतिया, दिनांक-24/05/2022

प्रतिलिपि-

1. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ तथा अपने विभागीय नोटिस बोर्ड पर तत्काल चस्पा करने हेतु।
3. स्थापना शाखा, शा.चि.म., दतिया की ओर रिकॉर्ड हेतु।
4. डॉ. मनोहर भाटिया, शा.चि.म. दतिया की ओर कॉलेज वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

अधिष्ठाता एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
दतिया (म.प्र.)